मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.08.2025

थाना सन्तनगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित नामजद 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी बरामद —

थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर पर दिनांकः08.08.2025 को वादी दुर्गेश कुमार यादव पुत्र गोपीनाथ यादव निवासी ग्राम समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर द्वारा अपने पड़ोस के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दीवार बनाने की बात को लेकर गाली गलौज देते हुए कुल्हाड़ी व लाठी-डण्डा से जान मारने की नियत से वादी के माता पिता को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर देने तथा अस्पताल में इलाज प्रचलित होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । जिसके आधार पर थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0-102/2025 धारा 109,352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए सम्बन्धित अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सन्तनगर को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः 09.08.2025 को थाना सन्तनगर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत तुलसीपुर नहर पुलिया के पास से नामजद 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.बऊ उर्फ शंकर पुत्र स्व0फत्ते, 2.भोला चौहान पुत्र श्यामलाल, 3.रजवन्ती पत्नी बऊ उर्फ शंकर, 4.लीलावती पत्नी भोला चौहान समस्त निवासीगण समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बऊ उर्फ शंकर उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी बरामद किया गया। थाना सन्तनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता—

1.बऊ उर्फ शंकर पुत्र स्व0फत्ते निवासी समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-65 वर्ष।

2.भोला चौहान पुत्र श्यामलाल निवासी समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-45 वर्ष।

3.रजवन्ती पत्नी बऊ उर्फ शंकर निवासिनी समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-55 वर्ष।

4.लीलावती पत्नी भोला चौहान निवासिनी समसदिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-42 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-102/2025 धारा 109,352 बीएनएस थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम तुलसीपुर नहर पुलिया के पास से, आज दिनांकः09.08.2025 को समय 14:00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक दिनेश कुमार श्रीवास्तव थाना सन्तनगर, मीरजापुर।

आरक्षी कमलेश कुमार व महिला आरक्षी नीलम कुमारी।

****